हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

संख्याः एफ.एफ.ई.–बी–ए.(3)–1/2017 तारीख शिमला–2, 20 अप्रैल, 2017

आदेश

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू–परिरक्षण अधिनियम, 1978 की धारा 7 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश संख्याः एफ.एफ.ई.–बी–ए.(3)–4/99 तारीख 10–09–2002 द्वारा जारी और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 04 अक्तूबर, 2002 को प्रकाशित आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त आदेश' कहा गया है) द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्राइवेट भूमि से वृक्षों के कटान (गिरान) को अस्थायी रूप से विनियमित, निर्बन्धित और प्रतिषिद्ध किया गया है;

और राज्य सरकार का, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन सम्यक् रूप से जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश का और संशोधन किया जाना आवश्यक और समीचीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

संशोधन

पैरा 1 का संशोधन। उक्त आदेश के पैरा 1 में,–

(क) प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि वृक्षों की निम्नलिखित प्रजातियों को काटने (गिराने) पर कोई प्रतिषेध या प्रतिबन्ध नहीं होगाः–

क्रम संख्या	प्रजातियों का स्थानीय नाम	प्रजातियों का वानस्पतिक नाम
1.	काला सिरिस/ओई/सिरिस	अलबिजीया प्रजाति
2.	कचनार/करयाल	बौहीनिया प्रजाति
3.	सफेदा	यूकैलिप्टस प्रजाति
4.	किमू/ चिमू/शहतूत/ तूत/ मलबैरी	मोरस प्रजाति

5.	पॉपलर	पॉपलस डेलटियॉडिस
6.	भारतीय विलो / बीयूंस	सालिक्स प्रजाति
7.	बैम्बू क्लमस / लाठी बांस / मग्गर / धरेंच / बांस	डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रीक्टस / डेन्ड्रोकेलेमस हेमिलटोनी / बैम्बुसा न्युटेन्स / बैम्बुसा बैम्बु
8.	जापानी शहतूत / पेपर मलबैरी	ब्रोसोनिशिया पेपिरीफेरा
9.	पेइक / कोई / कोश / कुनिश / नयून	एलनस निटिडा
10.	खिड़क / खड़की	1:–सेलटिस औरस्ट्रेलिस 2:–सैलटिस टेटरेन्ड्रा
11.	दरेक / बकिन	मेलिया एजादारच
12.	फगूड़ा / फेगुड़ा / त्यामल / तिमला / तिरमल / अंजीरी / कलस्टर फिग / गुलर	फाइकस प्रजाति
13.	तून	तूना सिलियेटा
14.	जामुन	सिजिजीयम क्यूमिनी
15.	टीक / सगुन / सागवान	टेक्टोना ग्रान्डिस
16.	अर्जुन	टरमिनेलिया अर्जुना
17.	सेमल / शलमाटास	बोम्बैक्स सिबा
18.	बिहूल / बेयूल / भिलल / भियूनल / धमन	ग्रेबिया प्रजाति
19.	पाजा / पदम	प्रुनस सिरासस
20.	कामला / रैनी / रोहग / रोहिन / सिन्दूरी	मेलोटस फिलीपैन्सिस
21.	आम (वन्य प्रजाति)	मैंगीफेरा इंड़िका
22.	रिष्टक / रीठा / डोडे	सेपिंडस मुकोरोसाई
23.	बान (अधिकतम पांच वृक्षों तक)*	क्यूरकस लियोक्ट्रीकोफोरा

*ये वृक्ष प्रत्येक वर्ष में अधिक से अधिक पाँच वृक्षों के अध्यधीन अनन्यतः घरेलू और अपने उपयोग के लिए होंगे, न कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए"।

(ख) चतुर्थ परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी घरेलू या कृषि उपयोग के लिए या विक्रय के लिए या लोक प्रयोजनों के लिए, जो पैरा 7 (iii) में वर्णित हैं, वृक्ष का कटान करता है तो उसे अपनी/प्राइवेट भूमि में काटे (गिराए) गए एक वृक्ष के बदले में तीन वृक्ष लगाने होंगे और ऐसा व्यक्ति, इस निमित्त, ऐसे लगाए गए वृक्षों के सबूत के रूप में स्वतः प्रमाणित प्रमाण पत्र सम्बद्ध प्राधिकारी (अथॉरिटी) को प्रस्तुत करेगा।"।

पैरा 7 का संशोधन।

2. उक्त आदेश के पैरा 7 में खण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नए परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"परन्तु काटे (गिराए) जाने वाले वृक्षों की संख्या की सीमा वही होगी और ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने वाले प्राधिकारी वे ही होंगे, जो इस आदेश के पैरा (1) में यथा उपबन्धित हैं और यदि राष्ट्रीयकृत प्रजातियां काटी (गिराई) जानी हैं तो उनकी गणना हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से करवाई जाएगी:

परन्तु यह और कि कटान (गिरान) के प्रयोजन के लिए कॉनिफरज (सिवाय चील के) प्रवर्ग के अन्तर्गत आने वाले वृक्षों को उच्च जोखिम वाले वृक्षों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और काटने (गिराने) की अनुज्ञा प्रदान करने से पूर्व उनका निरीक्षण किसी अधिकारी, जो सहायक वन अरण्यपाल या वन मण्डल अधिकारी की पंक्ति के नीचे का न हो, द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार, चील और चौड़ी पत्ती वाली अन्य प्रजातियां (बान/ओक, साल के सिवाय) को कम जोखिम वाले वृक्षों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उनका निरीक्षण ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो वन परिक्षेत्र अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो:

परन्तु यह और भी कि काटे (गिराए) जाने वाले वृक्षों का निरीक्षण ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के सात दिन के भीतर

सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और रिपोर्ट अड़तालीस घण्टे के भीतर विभाग की वैबसाईट पर अपलोड की जाएगी तथा अनुज्ञा आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रदान कर दी जाएगी।"।

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः एफ.एफ.ई.–बी–ए.(3)–1/2017 तारीख शिमला–2, 20 अप्रैल, 2017
प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित हैः–

1. विशेष सचिव (सामान्य प्रशासन) हिमाचल प्रदेश सरकार को मन्त्रीमण्डल की बैठक दिनांक 10.04.2017 की मद संख्या–9 के सन्दर्भ में।
2. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
3. उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि–राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
4. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि–राजभाषा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
5. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (HoFF), हिमाचल प्रदेश, शिमला–01.
6. प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्य जीव), हिमाचल प्रदेश, शिमला–01.
7. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल/मुख्य अरण्यपाल/अरण्यपाल (क्षेत्रीय) एवं (वन्य जीव), हिमाचल प्रदेश।
8. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
9. समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) एवं (वन्य जीव), हिमाचल प्रदेश।
10. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन विभाग, शिमला–5 को राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन हेतु।
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–02.
12. अनुभाग अधिकारी (वन–क), हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला–02.
13. वरिष्ठ विधि अधिकारी (राजभाषा खण्ड) हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला–2.
14. रक्षक नस्ति।

(सत पाल धीमान) 20-4-2017
संयुक्त सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार
दूरभाषः 0177–2621874

❖❖❖❖❖